

नगेन्द्र प्रसाद

बनाम

केम्पनजम्माँ

अगस्त 1967

[आर एस बछावत जे एम शेलत और वी भार्गव जेजे]

हिंदू विधि महिलाओ का अधिकार अधिनियम 1963 1933 का मैसूर अधिनियम धारा जब संपत्ति एकमात्र जीवित पुरुष उत्तराधिकारी को मिलती है तो महिला संबंधों के अधिकार एक मात्र जीवित पुरुष उत्तराधिकारी की दादी क्या धारा डी के तहत हिस्सेदारी की हकदार है। खण्ड डी क्या अंतिम सहदायिक और एक मात्र पुरुष उत्तरजीवी के बीच काल्पनिक विभाजन माना जाता है।

हिंदू विधि महिलाओ का अधिकार अधिनियम 1933 की धारा की उपधारा के खण्ड ए में प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति और उसके बेटे या बेटों के बीच संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन पर उनके साथ हिस्से के हकदार उसकी माँ उसकी अविवाहित बेटियां और विधवाएं

और उनके पूर्व मृत अविभाजित पुत्रों और भाइयों की अविवाहित बेटियों होंगी जिन्होंने कोई पुरुष संतान नहीं छोड़ी है। खंड बी में प्रावधान है कि जब विभाजन भाइयों के बीच होता है तो उनके साथ हिस्से की हकदार उनकी माँ उनकी अविवाहित बहनें और उनके पूर्वमृत अविभाजित भाइयों की विधवाएं और अविवाहित बेटियां होंगी जिन्होंने कोई पुरुष संतान नहीं छोड़ी है। खंड सी के अनुसार खंड ए और बी यथोचित परिवर्तनों के साथ संयुक्त परिवार में अन्य सहदायिकों के बीच विभाजन पर लागू होंगे। खंड डी में कहा गया है कि जब एक संयुक्त परिवार की संपत्ति उत्तरजीविता के आधार पर एकल सहदायिक के पास चली जाती है तो यह पहले के खंडों में सूचीबद्ध महिलाओं के वर्गों के हिस्सेदारी के अधिकार के अधीन होगी। धारा की उपधारा ने उपरोक्त रिश्तेदारों के हिस्से तय कर दिये। उपधारा अन्य बातों के साथसाथ माँ शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि इसमें माँ और सौतेली माँ दोनों को संयुक्त रूप से शामिल किया गया है और बेटा शब्द में सौतेला बेटा एक पोता और एक परपोता शामिल है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि माँ से संबंधित धारा के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ दादी और परदादी पर भी लागू होंगे।

एम की 1951 में मृत्यु हो गई। वादी प्रत्यर्थी उनकी विधवाओं में से एक थी और अपीलकर्ता उनका एकमात्र जीवित पोता था। प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपने हिस्से के मुकदमे में प्रश्न यह था कि क्या उपरोक्त अधिनियम की धारा की उप धारा के खण्ड डी की शर्तों में प्रत्यर्थी हिस्से

की हकदार थी। विचारण न्यायालय ने वाद को डिक्री किया और उच्च न्यायालय ने डिक्री को बर करार रखा। अपीलकर्ता प्रमाण पत्र के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष आया । अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि खण्ड डी अंतिम और एकमाँत्र जीवित सहदायिकों के बीच एक विभाजन की कल्पना करता है और इसलिए खण्ड ए बी और सी में सभी महिलाओ को हिस्सेदारी का हकदार नहीं कहा जा सकता।

अभिनिर्धारित: बच्चावत और भार्गव जेजे द्वारा खंड डी के तहत अधिकार के दायरे का निर्धारण करते समय एक कल्पित विभाजन की परिकल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह मानने का कोई औचित्य नहीं है कि खण्ड डी की व्याख्या परिवार के एकमाँत्र जीवित सदस्य और पूर्व मृत सहदायिक जिसकी मृत्यु के परिणामस्वरूप संपत्ति एकमाँत्र उत्तरजीवी के पास चली गई के बीच एक कल्पित विभाजन के आधार पर की जानी चाहिए।

उद्देश्य सहदायिक संपत्ति से भरणपोषण की हकदार सभी महिलाओं को भरणपोषण के अधिकार के बजाय संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने का अधिकार देना है और इसीलिए इसमें खंड ए बी और सी में सूचीबद्ध सभी महिलाओं का संदर्भ दिया गया है। खंड ए और बी महिलाओं के चार वर्गों का उल्लेख करते हैं अर्थात माँ विधवा

अविवाहित बेटी और अविवाहित बहन। महिलाओं के ये चारों वर्ग खंड डी के अंतर्गत हैं। बीसी

धारा की उपधारा में कहा गया है कि माँ से संबंधित पूरे अनुभाग के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ पैतृक दादी और परदादी पर भी लागू होते हैं परिणाम स्वरूप जब खंड डी के तहत हिस्सेदारी पाने की हकदार महिलाओं की श्रेणियों का पता लगाया जाना है और यह पता लगाना है कि क्या बी के खंड ए में वर्णित माँ साझा करने की हकदार है अभिव्यक्ति माँ में शामिल व्यक्ति सौतेली माँ होंगे और इसके अलावा माँ को अधिकार प्रदान करने वाला प्रावधान दादी और परदादी को भी अधिकार प्रदान करेगा क्योंकि खंड ए और बी जो माँ से संबंधित हैं यथावश्यक परिवर्तनों के साथ दादी और परदादी पर भी लागू होंगे। खंड डी की इस व्याख्या पर खंड ए बी और सी और धारा की उपधारा के साथ पढ़ें तो प्रत्यर्थी को एक हिस्से का हकदार माना जाना चाहिए एक सहदायिक एम की विधवा के रूप में वह एकचौथाई हिस्से की हकदार थी। डीजी

वैकटचलैया बनाम रामलिंगैया मैसूर एच सी आर दक्षिणामूर्ति वि सुब्बम्माँ मैसूर एच सी आर और कोल्ला नरसिम्हा सेट्टी बनाम नंजम्माँ मैसूर एचसीआर स्वीकृत।

वैकटगौड़ा बनाम शिवन्ना 1960 मैसूर एलजे से संदर्भित।

न्यायाधीश शेलट द्वारा असहमति किसी हिस्से पर अधिकार तभी हो सकता है जब बंटवारा हो अन्यथा नहीं। खंड ए बी या सी के तहत आने वाले मामलों के बीच एक स्पष्ट अंतर है जहां वास्तविक विभाजन होने पर हिस्सेदारी महिला रिश्तेदारों में निहित होती है और खंड डी जहां कोई विभाजन नहीं हो सकता है। इसलिए एक विभाजन माना जाना चाहिए क्योंकि केवल ऐसी धारणा पर ही उन महिलाओं को सुनिश्चित किया जा सकता है जिन्हें हिस्से का अधिकार प्रदान किया गया है यानी वे महिलाएं जो इस तरह के विभाजन पर यदि कोई हुआ होता तो एक हिस्से की हकदार होती। यह प्रश्न कि वे महिलाएं कौन हैं जो इस तरह के हिस्से की हकदार हैं इस बात पर निर्भर करता है कि खंड ए बी या सी में से कौन सा खंड ऐसे सैद्धांतिक विभाजन पर लागू होता है। वर्तमान मामले में उपधारा में पुत्र की परिभाषा के मद्देनजर खंड ए के तहत अनुमानित विभाजन पिता और पुत्र के बीच होगा। इस खंड के तहत प्रत्यर्थी को एम की पत्नी या अपीलकर्ता की दादी के रूप में हिस्सेदारी का कोई अधिकार नहीं होगा। धारा में माँ शब्द को दिए गए विस्तारित अर्थ में एम की दादी शामिल होंगी ना की अपीलकर्ता की। ई जी ए ओ

वेंकटपति वि सरस्वतीन्माँ मैसूर एचसीआर नरसिम्हा शेटी बनाम नागम्माँ वर्ष मैसूर एलजे नागेन्द्रदास बनाम रामकृष्णन मैसूर एलजे दक्षिणैमूर्ति बनाम सुब्बम्माँ मैसूर एचसीआर वेंकटचलैया बनाम रामलिंगैया

मैसूर एचसीआर और वेंकटगौड़ा बनाम सिवान्ना 1960 मैसूर एलजे से
संदर्भित

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार:- सिविल अपील संख्या 2399/1966

मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 1958 मे पारित अंतिम
निर्णय और आदेश दिनांक 16 जून 1964 से उत्पन्न।

अपीलकर्ताओं के लिए सरजू प्रसाद ओपी मल्होत्रा और ओ सी माँथुर।

प्रत्यर्थी की ओर से एके सेन बीपी सिंह और आरबी दातार।

न्यायाधीश बछावत और न्यायाधीश भार्गव ने निर्णय पारित किया
जबकि न्यायाधीश शेलट द्वारा असहमतिपूर्ण राय दी गई।

भार्गव जे. अपनी और बच्चावत जे की ओर से हमें हमारे भाई शेलत
जे द्वारा सुनाने हेतु प्रस्तावित फैसले को पढ़ने का लाभ मिला है लेकिन
अफसोस है कि हम उनसे सहमत होने में असमर्थ हैं। इस मामले के तथ्य
पहले ही उनके फैसले में दिए जा चुके हैं और उन्हें दोबारा पेश करने की
जरूरत नहीं है।

जैसा कि उनका मानना है यह सही है कि जब तक हिंदू विधि
महिलाओं का अधिकार अधिनियम 1933 1933 का मैसूर अधिनियम
इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है पारित नहीं
हुआ था उस क्षेत्र में लागू मिताक्षरा कानून के तहत मैसूर में संयुक्त हिंदू

परिवार की संपत्ति में हिस्से का कोई महिला अधिकार नहीं रखती थी। संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू महिला का अधिकार भरणपोषण निवास और विवाह व्यय तक ही सीमित था। इस अधिनियम ने पहली बार उसके अधिकारों को बढ़ाया। वेंकटचलैया बनाम रामलिंगैया मैसूर एच सी आर में मैसूर उच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को हमारी राय में सही ढंग से बताया। उस न्यायालय द्वारा यह भी उचित प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा का उद्देश्य महिलाओं को संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सा देकर बड़े अधिकार प्रदान करना है। हालाँकि यह ध्यान देने योग्य है कि धारा महिलाओं को अधिकार प्रदान करने में दो अलगअलग परिस्थितियों की परिकल्पना करती है जिसमें वह अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। पहली परिस्थिति तब होती है जब संयुक्त परिवार की संपत्ति का बंटवारा किन्हीं सहदायिकों के बीच होता है और दूसरी जब कोई बंटवारा नहीं होता है संपूर्ण संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति एक ही पुरुष माँलिक के पास चली जाती है। इन दोनों मामलों में अधिनियम की परिकल्पना है कि संपत्ति सहदायिक संपत्ति के अपने चरित्र को खो सकती है क्योंकि विभाजन पर या परिवार के एक भी पुरुष सदस्य के जीवित रहने पर सहदायिक निकाय का अस्तित्व समाप्त हो सकता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि धारा का उद्देश्य ऐसी आकस्मिकताओं में महिलाओं के हितों की रक्षा करना था जहां सहदायिक संपत्ति या तो

विभाजन द्वारा या एकमात्र पुरुष सदस्य के जीवित रहने से लुप्त हो जाती है।

विधायिका द्वारा यह महसूस किया गया प्रतीत होता है कि ऐसी परिस्थितियों में भरणपोषण आदि की हकदार महिलाओं को उन व्यक्तियों की दया पर छोड़ना सुरक्षित नहीं है जो विभाजन पर संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं या उस व्यक्ति की दया पर जिसमें एकमात्र उत्तरजीविता के फलस्वरूप संपत्ति में पूर्ण अधिकार निहित हो सकते हैं। पहली आकस्मिकता के लिए जब विभाजन होता है धारा की उपधारा के खंड ए बी और सी में प्रावधान किया गया था जिसके तहत यदि पुरुष सदस्यों ने विभाजन का निर्णय लिया है तो महिलाओं को उनके हिस्से अलग कर माँगने का अधिकार दिया गया था। जब तक पुरुष सदस्य स्वयं बटवारा नहीं मागते तब तक महिलाओं को भी बटवारा मागने का कोई अधिकार देना आवश्यक नहीं समझा जाता था क्योंकि जब तक परिवार के पुरुष सदस्य बटवारा नहीं मागते तब तक संपत्ति सहदायिक संपत्ति के रूप में अपना चरित्र नहीं खो सकती थी। धारा के खंड ए बी और सी के तहत महिलाओं का अधिकार केवल संयुक्त हिंदू परिवार बनाने वाले पुरुष सहदायिकों के बीच विभाजन पर ही उत्पन्न होता है।

दूसरी आकस्मिकता के लिए जब सहदायिक संपत्ति एकमात्र उत्तरजीवी को मिलती है तो धारा के खंड डी में प्रावधान किया गया है।

यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक रूप से महिलाओं को सहदायिक संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार देती थी भले ही कोई विभाजन न हो क्योंकि एकमात्र उत्तरजीवी को संपत्ति हस्तांतरित होने पर सहदायिक निकाय के पुरुष सदस्यों द्वारा संभवतः कोई विभाजन नहीं मागा जा सकता। इसलिए खंड डी द्वारा प्रदत्त यह अधिकार किसी भी तरह से माँगे जा रहे किसी भी विभाजन पर या खंड ए बी और सी के तहत महिलाओं को पहले मिले किसी अधिकार पर निर्भर नहीं है। बाद के तीन खंड सहदायिक निकाय के पुरुष सदस्यों के बीच विभाजन के समय एक साथ उत्पन्न होने और प्रयोग किए जाने वाले अधिकार से संबंधित हैं जबकि खंड डी के तहत अधिकार उन मामलों के लिए दिया गया है जब कोई विभाजन नहीं हो सकता है। इसलिए खंड डी द्वारा प्रदत्त अधिकार एक स्वतंत्र अधिकार है और खंड ए बी और सी के तहत महिलाओं को दिए गए अधिकारों से जुड़ा हुआ नहीं है। इन परिस्थितियों में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि खंड डी के तहत अधिकार के दायरे का निर्धारण करते समय कल्पित विभाजन की परिकल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह मानने का कोई औचित्य नहीं है कि खंड डी की व्याख्या परिवार के एकमात्र जीवित सदस्य और उस सहदायिक के बीच जिसकी तुरन्त मृत्यु के परिणामस्वरूप संपत्ति एकमात्र जीवित व्यक्ति के पास चली गई के बीच कल्पित विभाजन के आधार पर की जानी चाहिए।

खंड ए बी और सी के संदर्भ से ऐसा लगता है कि खंड डी ने यह धारणा बना दी है कि खंड डी के तहत प्राप्त महिलाओं के अधिकारों को निर्धारित करने के लिये इस तरह के विभाजन को मान लिया जाना चाहिए। यह सत्य है कि खंड डी जिस भाषा में व्यक्त किया गया है वह थोड़ी अस्पष्ट है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि खंड डी में खंड ए बी और सी का संदर्भ उन सभी महिलाओं को निर्धारित करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए है जिन्हें उस खंड के तहत लाभ मिलना है। महिलायें जिन्हें लाभ मिलना है वे सभी महिलाएं हैं जो संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार अर्जित करतीं यदि खंड ए या खंड बी या खंड सी के तहत विभाजन होता।

इस प्रकार धारा की योजना यह है कि यदि खंड ए में परिकल्पित विभाजन होता है तो उस खंड में उल्लिखित महिलाओं को केवल संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार मिलता है। यदि खंड बी में उल्लिखित पुरुष सदस्यों के बीच बंटवारा होता है तो हिस्सेदारी का अधिकार उस खंड में उल्लिखित महिलाओं को प्राप्त होता है। खंड सी व्यापक है क्योंकि यह विशेष रूप से उन महिलाओं की गणना नहीं करता है जिन्हें हिस्सा मिलना है। खंड सी में केवल इतना कहा गया है कि खंड ए और बी संयुक्त परिवार में अन्य सहदायिकों के बीच विभाजन पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होते हैं। इस भाषा का अर्थ यह है कि भले ही खंड सी के तहत एक संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन होगा जो खंड ए और बी में दिए गए तरीके से एकदूसरे से संबंधित नहीं हैं फिर भी जिन महिलाओं

को हिस्सा प्राप्त होना है उनको खंड ए और बी के संदर्भ में सुनिश्चित किया जाना है। खंड ए के तहत एक विभाजन की परिकल्पना एक व्यक्ति और उसके बेटे या बेटों के बीच होती है और जिन महिलाओं को हिस्सा मिलना है वे उसकी माँ उसकी अविवाहित बेटियां और उसके पूर्व मृत अविभाजित बेटों और भाइयों की विधवाएं और अविवाहित बेटियां हैं जिन्होंने कोई पुरुष संतति नहीं छोड़ी हो। सवाल यह उठता है कि महिलाएं खंड सी में हिस्से की हकदार कैसे है तो यह इस खंड के संदर्भ में सुनिश्चित किया जाना चाहिए जब विभाजन किसी व्यक्ति और उसके बेटे या बेटों के बीच नहीं होता है। खंड सी स्पष्टतयः उन मामलों पर लागू होता है जहां विभाजन परिवार के उन सदस्यों के बीच होता है जो खंड ए में निर्धारित तरीके से संबंधित नहीं हैं और फिर भी उस विभाजन में हिस्सा प्राप्त करने वाली महिलाओं का निर्धारण खंड ए के संदर्भ में किया जाना है। यही बात तब लागू होती है जब खंड सी के तहत विभाजन उन व्यक्तियों के बीच होता है जो खंड बी में परिकल्पित तरीके से संबंधित नहीं हैं और फिर भी खंड बी में उल्लिखित महिलाओं को खंड सी में उल्लिखित हिस्सेदारी दिए जाने के उद्देश्य से सुनिश्चित किया जाना है। एक उदाहरण लिया जा सकता है माँन लीजिए एक व्यक्ति और उसके भाई के बेटे के बीच बंटवारा हुआ है। ऐसे मामले में खंड सी बताता है कि हिस्सेदारी की हकदार महिलाओं को खंड ए और बी के संदर्भ में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। परिणाम यह है कि ऐसे मामले में खंड ए को लागू

करने से हकदार महिलाएं माँ अविवाहित बेटियां विधवाएं और चाचा और भतीजे दोनों के पूर्वमृत अविभाजित बेटों और भाइयों की अविवाहित बेटियां होंगी। इसी प्रकार ऐसे विभाजन में खंड बी के संदर्भ में महिलाओं का पता लगाने में शामिल महिलाओं में माँताएं अविवाहित बहनें विधवाएं और चाचा और भतीजे दोनों के पूर्वमृत अविभाजित भाइयों की अविवाहित बेटियां शामिल होंगी।

यह उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि जिन महिलाओं को खंड डी के तहत हिस्सा प्राप्त करना है उनके निर्धारण का दायरा बहुत व्यापक होना चाहिए क्योंकि खंड डी में उल्लेख किया गया है कि जब संयुक्त परिवार की संपत्ति उत्तरजीविता द्वारा एकल सहदायिक के पास चली जाती है तो हिस्से का अधिकार तीनों खंड ए बी और सी में शामिल महिलाओं के सभी वर्गों में निहित है। ऐसी स्थिति होने पर हमें नहीं लगता कि खंड डी की केवल उन महिलाओं को अधिकार देने के रूप में संकीर्ण रूप से व्याख्या की जा सकती है जो खंड ए और बी में निर्धारित तरीके से पिछले दो पुरुष सहदायिकों में से एक या दूसरे से संबंधित हैं। वास्तव में खंड डी की भाषा की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि हिस्से का अधिकार संयुक्त हिंदू परिवार की सभी महिलाओं में निहित होगा जिन्हें संभवतः किसी पूर्व समय खंड ए बी और सी में निर्धारित तीन तरीकों में से किसी एक में परिवार में विभाजन होने पर हिस्सेदारी का अधिकार प्राप्त होता। इस इरादे को केवल इस आधार पर ही क्रियान्वित किया जा सकता है कि खंड डी अंतिम दो

पुरुष सहदायिकों के बीच अनुमॉनित विभाजन के आधार पर महिलाओं का पता लगाने तक ही सीमित नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि खंड डी विभाजन का स्वतंत्र रूप से अधिकार देता है और हम यह नहीं देखते हैं कि विभाजन मॉनकर इसका दायरा सीमित क्यों किया जाना चाहिए। इस खंड में पहले के खंडों के संदर्भ को खंड ए बी और सी के तहत आने वाली महिलाओं की सुनिश्चिता के एकमात्र उद्देश्य तक ही सीमित मॉना जाना चाहिए और एक बार जब यह सुनिश्चित हो जाये तो यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उनमें से प्रत्येक इस खंड के तहत हिस्सेदारी की हकदार बन जाती है। खंड डी का उद्देश्य सहदायिक संपत्ति से भरणपोषण की हकदार सभी महिलाओं को भरणपोषण के अधिकार के बजाय संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने का अधिकार देना है और इसीलिए इसमें खंड ए बी और सी में सूचीबद्ध सभी महिलाओं का संदर्भ दिया गया है। खंड ए और बी महिलाओं के चार वर्गों का उल्लेख करते हैं अर्थात् माँ विधवा अविवाहित बेटी और अविवाहित बहन। महिलाओं के ये चारों वर्ग खंड डी के अंतर्गत हैं। खंड ए बी सी या डी के तहत एक महिला जिस वास्तविक हिस्से की हकदार बनती है उसे धारा की उपधारा के संदर्भ में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने में कि महिलायें जिन्हें संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सों के अधिकार या तो खंड ए बी या सी के तहत विभाजन पर या खंड डी के तहत एकमाँत्र उत्तरजीवी को संपत्ति के हस्तांतरण पर अर्जित होते हैं धारा की उपधारा

को प्रभाव दिया जाना चाहिए जिसमें विधवा माँ और पुत्र शब्दों का दायरा बढ़ाया गया है और जो इसके अलावा यह बताता है कि माँ से संबंधित इस पूरी धारा के प्रावधान पैतृक दादी और परदादी पर यथोचित परिवर्तनों को लागू करने के लिए है। परिणामस्वरूप जब खंड डी के तहत हिस्सेदारी की हकदार महिलाओं की श्रेणियों को सुनिश्चित किया जाना है और यह पता लगाना है कि क्या खण्ड ए या खंड में उल्लिखित माँ हिस्सेदारी की हकदार है माँ शब्द में शामिल व्यक्ति सौतेली माँ हो सकती है।

दक्षिणामूर्ति बनाम सुब्बम्माम् मैसूर एचसीआर एक श्रीकांताचारी की विधवा ने अपने पति और उसके भाई के संयुक्त परिवार से संबंधित संपत्ति के एक चौथाई हिस्से के बंटवारे और कब्जे के लिए अपने पति के भाई पर मुकदमा दायर किया। रीली सीजे और वेंकटरांगा अयंगर जे ने माना कि वादी स्पष्ट रूप से उन महिलाओं में से एक थी जिन पर खंड का उपखंड लागू होता था। मैसूर में इस फैसले का हमेशा पालन किया गया है और यह ऊपर हमारे द्वारा व्यक्त विचार के अनुरूप है। अंतिम मामले का जिक्र करते हुए वेंकटरमण राव सीजे ने पोगाकू वेंकटचलैया बनाम पोगाकू रामलिंगैया मैसूर एच सी आर में देखा

लेकिन खंड ए के तहत महिला सदस्य के अधिकारों के बारे में जो भी कहा जाए खंड डी के तहत उसके अधिकार अलग हैं। महिला सदस्य का संपत्ति साझा करने का अधिकार खंड ए के तहत केवल संयुक्त परिवार की

संपत्ति के विभाजन पर उत्पन्न होने तक सीमित नहीं है। जैसा कि दक्षिणामूर्ति बनाम सुब्बम्मों में बताया गया है उसका अधिकार उस क्षण से उत्पन्न होता है जब संपत्ति एकल सहदायिक के पास चली जाती है। कोल्ला नरसिम्हा सेट्टी बनाम नानजम्मों मैसूर एचसीआर पृष्ठ में रीली सीजे ने धारा की उपधारा ए के संदर्भ में बताया

मुझे प्रतीत होता है कि इस उपधारा का उद्देश्य परिवार की उन महिलाओं को जिन्हें अन्यथा पूरे परिवार के विरुद्ध भरणपोषण का अधिकार होता उन्हें भरण पोषण के अधिकार से संतुष्ट होने के बजाय ऐसे विभाजन में हिस्सेदारी का दावा करने का अधिकार देना है।

वेंकटगौड़ा बनाम शिवन्न 1960 मैसूर एलजे में तथ्य यह थे कि आर को विधवा जी से एक बेटा के था के की अपनी विधवा एल और बेटे एम को छोड़कर मृत्यु हो गई। इसके बाद आर की मृत्यु एम को एकमात्र जीवित सहदायिक के रूप में छोड़कर हो गई। स्पष्टतः आर की विधवा के रूप में जी एक चौथाई हिस्से की हकदार थी। मैसूर उच्च न्यायालय भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हालांकि हमें कहना होगा कि हम फैसले में की गई सभी टिप्पणियों से सहमत नहीं हैं। उस मामले में न्यायालय ने एम और आर के बीच होने वाले विभाजन में आर को जीवित माँनकर गलती की थी। हमारे उपरोक्त निर्णय के परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।

न्यायाधीश शेलट एक मेंडप्पा की अक्टूबर 1951 को अपनी पहली पत्नी देवम्माँ तीसरी प्रतिवादी केम्पनानजम्माँ वादी एक पोता नागें पहला प्रतिवादी और उनके पूर्व मृत पुत्र गुरुस्वामी की विधवा दक्षायनियम्माँ दूसरी प्रतिवादी को छोड़कर मर गया। उक्त केम्पनानजम्मा का मामला यह था कि मेंडप्पा की मृत्यु पर पारिवारिक संपत्ति पहले प्रतिवादी को दे दी गई थी वह एकमात्र जीवित सहदायिक था इसमें उसके और प्रतिवादी और के अधिकार शामिल थे। दूसरी ओर प्रतिवादी और का मामला यह था कि पहले प्रतिवादी की सौतेली दादी के रूप में वादी महिला रिश्तेदारों में से एक नहीं थी जो संपत्ति में किसी भी हिस्से की हकदार थी जो कि मेंडप्पा की मृत्यु पर प्रथम प्रतिवादी में एकमाँत्र जीवित सहदायिक के रूप में निहित थी। विचारण न्यायालय ने वादी को वें हिस्से का हकदार मानते हुये दावा डिक्री किया। नागेंद द्वारा उच्च न्यायालय में की गई अपील में सभी पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि मैसूर के पूर्व उच्च न्यायालय का विचार है कि धाराने पहली बार उसमें निर्धारित परिस्थितियों में कुछ महिलाओं के पक्ष में हिस्सेदारी का अधिकार बनाया है। ए बी और सी के तहत ऐसे हिस्से के अधिकार का प्रयोग केवल विभाजन की स्थिति में किया जा सकता है और खंड ए बी और सी के विपरीत खंड डी ने महिला रिश्तेदारों को उस खण्ड द्वारा दिया विभाजन का दावा करने का अधिकार सही था जब संयुक्त परिवार की संपत्ति एकमात्र जीवित सहदायिक को हस्तांतरित हो जाती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि खंड डी में दो महत्वपूर्ण

अभिव्यक्तियाँ हैं हिस्सों के अधिकार के अधीन और उपरोक्त उप अनुभागों में गिनाए गए महिलाओं के वर्ग यानी महिलाओं के वर्ग खंड ए बी और सी में गिना गया इसलिए खंड डी में महिलाएं खंड ए बी और सी से स्वतंत्र रूप से एक अलग वर्ग का गठन नहीं करती हैं। उच्च न्यायालय के विचार में डी न केवल अंतिम और एकमात्र जीवित सहदायिक की महिला रिश्तेदारों को शामिल करता है बल्कि उन सभी को भी शामिल करता है जो उनसे पहले मर चुके हैं और हिस्सेदारी की हकदार महिलाओं का पता लगाने के लिए यह मानना होगा कि खंड ए बी और सी के तहत एक विभाजन हुआ था। तदनुसार यह माना गया कि एकमात्र जीवित सहदायिक के दादा की विधवा एक मृत सहदायिक की विधवा होने के कारण खंड डी के अंतर्गत आती है। लेकिन चूंकि मेंडप्पा ने एक पुरुष संतति नागेंद्र छोड़ी है जो उपधारा में पुत्र की परिभाषा के तहत उनका पुत्र होगा। वादी उक्त मेंडप्पा की विधवा के रूप में किसी हिस्से की हकदार नहीं होगी। हालांकि वह सौतेली दादी के रूप में हिस्सेदारी के अधिकार की हकदार होगी क्योंकि उपधारा एक बेटे को एक पोते के रूप में और एक माँ को एक दादी सहित के रूप में परिभाषित करती है। चूंकि मा में सौतेली माँ भी शामिल है वादी गुरुस्वामी की माँ और नागें की दादी थी और इसलिए उसकी माँ उपधारा के तहत और खंड डी के तहत एक हिस्से के अधिकार की हकदार थी। यह अपील प्रमाणपत्र द्वारा खंड डी की इस व्याख्या के विरुद्ध निर्देशित है।

1933 का मैसूर अधिनियम पारित होने से पहले मैसूर पर लागू मिताक्षरा कानून के तहत संयुक्त परिवार की संपत्ति में किसी महिला को हिस्सेदारी का अधिकार नहीं था उनके अधिकार केवल भरणपोषण निवास या विवाह व्यय तक सीमित थे। इस अधिनियम ने पहली बार इन अधिकारों को बढ़ाया और सहदायिकों के मध्य बंटवारे में हिस्सेदारी का प्रावधान किया। हालांकि यह अधिनियम जब तक सहदायिकों के बीच विभाजन न हो महिला रिश्तेदारों को हिस्सेदारी का अधिकार नहीं देता है। इसके अलावा हिस्सेदारी की हकदार महिलाएं केवल वे ही हैं जिनकी गणना धारा में की गई है। यदि सहदायिक संयुक्त रहना चुनते हैं तो अधिनियम उन्हें विभाजन की माग करने का कोई अधिकार नहीं देता है। देखें मैसूर की हिंदू विधि वां संस्करण पृष्ठ मुल्ला की हिंदू विधि वां संस्करण पृष्ठ और वेंकटपतिया बना सरस्वथम्मा मैसूर एचसी रिपोर्ट्स इसलिए इन महिला रिश्तेदारों का यह अधिकार एक निहित अधिकार नहीं है बल्कि एक आकस्मिक अधिकार है जो विभाजन के समय प्राप्त होने वाले व्यक्तियों और परिस्थितियों या एकमात्र जीवित सहदायिक को खंड डी के तहत संपत्ति के हस्तान्तरण के संबंध में उपधारा के एक या अन्य खंडों के अंतर्गत आने पर निर्भर करता है।

धारा इस प्रकार है ए किसी व्यक्ति और उसके बेटे या बेटों के बीच संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन पर उसकी माँ उसकी अविवाहित बेटियों और उसके पूर्वमृत अविभाजित बेटों और भाईयों की विधवाओं और

अविवाहित बेटियों जिन्होंने कोई पुरुष संतान नहीं छोड़ी है उनके साथ हिस्से की हकदार होगी।

बी भाइयों के बीच संयुक्त परिवार की संपत्ति के बंटवारे पर उनकी माँ उनकी अविवाहित बहनें और उनके पूर्वमृत अविभाजित भाइयों की विधवाएं और अविवाहित बेटियां जिनके पास कोई पुरुष संतान नहीं है उनके साथ हिस्से की हकदार होंगी।

सी उपधारा ए और बी एक संयुक्त परिवार में अन्य सहदायिकों के बीच विभाजन पर यथोचित परिवर्तनों के साथ भी लागू होंगे।

जहां संयुक्त परिवार की संपत्ति उत्तरजीविता के कारण एकल सहदायिक के पास चली जाती है यह उपरोक्त उपवर्गों में सूचीबद्ध महिलाओं के वर्गों के हिस्से के अधिकार के अधीन होगी।

उपधारा उपरोक्त महिला रिश्तेदारों के हिस्से तय करती है। उपधारा में माँ शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है जिसमें माँ और सौतेली माँ दोनों शामिल हैं वे सभी संयुक्त रूप से और बेटा शब्द में सौतेला बेटा एक पोता और एक परपोता शामिल है। इसमें यह भी प्रावधान है कि माँ से संबंधित इस धारा के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ दादी और परदादी पर भी लागू होंगे।

खंड ए किसी व्यक्ति और उसके बेटे या बेटों के बीच विभाजन पर लागू होता है और इसके तहत हिस्से की हकदार महिलाएं हैं उस व्यक्ति की माँ बी उसकी अविवाहित बेटियाँ सी उसके पूर्व मृत अविभाजित पुत्र की विधवाएं जिन्होंने कोई पुत्र संतति नहीं छोड़ी है डी उनके पूर्व मृत पुत्रों की अविवाहित बेटियाँ जिन्होंने कोई पुत्र संतति नहीं छोड़ी है और ई उनके पूर्व मृत अविभाजित भाइयों की विधवाएं और अविवाहित बेटियाँ जिन्होंने कोई पुरुष संतान नहीं छोड़ी है। नरसिम्हा शेटी बना नागम्माँ मई एलजे में मैसूर उच्च न्यायालय ने खंड ए में जिन्होंने कोई पुरुष संतति नहीं छोड़ी है अभिव्यक्ति की व्याख्या उस समय के लिए लागू की जब विभाजन होता है। इसलिए पूर्व मृत अविभाजित पुत्र की विधवा को विभाजन में हिस्सा मिलता है भले ही उसके पति से उसे एक पुत्र हुआ हो यदि ऐसा पुत्र विभाजन के समय जीवित नहीं रहा हो। उपधारा के तहत एक बेटे में सौतेला बेटा पोता और परपोता शामिल हैं लेकिन सौतेली माँ सहित एक माँ में दादी या परदादी शामिल नहीं हैं। इसलिए यदि माँ और दादी दोनों हैं तो बाद वाली को हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर माँ जीवित नहीं है तो उपधारा के आधार पर उस व्यक्ति की दादी यानी पिता को हिस्सा मिलता है। इस प्रकार एक परिवार की सभी महिला रिश्तेदारों को हिस्सेदारी नहीं मिलती है। एक सरल उदाहरण इस स्थिति को स्पष्ट कर देगा। ए के दो बेटे बी और सी और एक पूर्व मृत बेटा डी है। ए बी और सी के बीच बंटवारे पर बी और सी की पत्नियों और बेटियों को कोई हिस्सा नहीं

मिलता है इसी प्रकार डी की विधवा या विधवाओं और अविवाहित बेटियों को भी कोई हिस्सा नहीं मिलता है यदि उसने कोई पुरुष संतति छोड़ी हो। बटवारे में भाग लेने वाले सहदायिक की पत्नी का भी कोई हिस्सा नहीं है। अजीब बात है हालांकि ए की अविवाहित बेटियों को हिस्सा मिलता है यद्यपि उसका एक बेटा है बी और सी की अविवाहित बेटियों को कोई हिस्सा नहीं मिलता है।

खंड बी भाइयों के बीच विभाजन पर विचार करता है। जिन महिला रिश्तेदारों को इस तरह के बटवारे पर हिस्सा पाने का अधिकार है वे हैं ए उनकी माँ बी उनकी अविवाहित बहनें और सी पूर्वमृत अविभाजित भाइयों की विधवाएँ और अविवाहित बेटियाँ जिनके पास कोई पुरुष संतान नहीं है। कोई अन्य महिला हिस्सेदारी की हकदार नहीं है। पिछले उदाहरण को जारी रखते हुए यदि ए की मृत्यु हो जाती है और उसके पुत्रों बी और सी के बीच बंटवारा होता है तो मामला खंड बी के अंतर्गत आएगा। खंड ए के तहत स ए की पत्नी के पास कोई हिस्सा नहीं था लेकिन अब जब ए की मृत्यु हो गई है तो उसकी विधवा के पास उसकी विधवा के रूप में नहीं बल्कि बी और सी की माँ के रूप में हिस्सा है। ए की अविवाहित बेटियाँ जिनके पास खंड ए के तहत हिस्सा था अब उनके पास एक हिस्सा है लेकिन एक अलग क्षमता में बी और सी की अविवाहित बहनों के रूप में। इसी तरह डी की विधवा और अविवाहित बेटियाँ जिनके पास पूर्व मृत बेटे की विधवा और अविवाहित बेटियों के रूप में हिस्से थे बी व सी के पूर्व

मृत भाई की विधवा और अविवाहित बेटियों के रूप में हिस्से होंगे। यह देखा जाएगा कि ए के पूर्व मृत भाइयों की विधवाओं और अविवाहित बेटियों के पास कोई हिस्सा नहीं होगा हालांकि उनके पास खंड ए के तहत हिस्से होंगे यदि ए जीवित था और विभाजन उसके और उसके बेटों बी और सी के बीच था। इस प्रकार परिस्थितियों में बदलाव के साथ कुछ महिलाएं हिस्से का अधिकार खो देती हैं जबकि कुछ अन्य महिलाएं हिस्से का अधिकार अलग क्षमता में प्राप्त करती हैं।

खंड सी वहां लागू होता है जहां खंड ए और बी के अलावा अन्य सहदायिकों के बीच विभाजन होता है। उदाहरण के लिए यह चाचा और भतीजे या चचेरे भाइयों के बीच विभाजन पर लागू होता है। ऐसे मामलों में यह खंड ए और बी के सिद्धांत को यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू करने का आदेश देता है। निम्नलिखित उदाहरण खंड सी का अर्थ स्पष्ट करता है। ए और बी और सी भाई हैं। ए और बी दोनों का एकएक बेटा एकस और वाई है लेकिन सी का कोई बेटा नहीं है। सी एक विधवा जेड को छोड़कर मर जाता है। ए और बी मर जाते हैं। एकस और वाई के बीच विभाजन होता है। खंड ए के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि वे उसके और उसके बेटे या बेटों के बीच विभाजन में पिता की महिला रिश्तेदारों से संबंधित हैं। इसलिए खंड ए में गणना की गई महिलाओं को हिस्से का अधिकार नहीं होगा। नागेन्द्रदास बनाम रामकृष्णन मैसूर एलजे में मैसूर उच्च न्यायालय ने विभाजन में संबंधित सहदायिक की माँ को हिस्सेदारी

का हकदार माना सिवाय इसके कि जब वह विभाजन में भाग लेने वाले सहदायिक की विधवा बहू थी। इस आधार पर एक्स और वाई की माँताएँ हिस्सों की हकदार होंगी लेकिन इस व्याख्या पर भी सी की विधवा जेड के पास कोई हिस्सा नहीं होगा वह न तो विभाजनकारी सहदायिकों एक्स या वाई की माँ है और न ही एक्स और वाई के पूर्व मृत भाई की विधवा है लेकिन यदि बी जीवित था और विभाजन उसके उसके बेटे वाई और भतीजे एक्स के बीच था तो सी की विधवा खंड बी के सिद्धांतों के तहत हिस्सा लेगी जैसा कि पूर्व मृत भाई की विधवा को प्रदान किया गया यदि सी ने कोई पुरुष संतति नहीं छोड़ी हो। यदि ए ने एक विधवा डी को छोड़ दिया है तो वह ए की विधवा के रूप में नहीं बल्कि एक्स की माँ के रूप में हिस्सा लेती है। यदि ए और बी की माँ जीवित होती तो वह बी की माँ के रूप में हिस्सा लेती। बी के पूर्व मृत भाई की विधवा सी खंड बी के तहत पूर्वमृत अविभाजित भाई की विधवा के रूप में हिस्सा पाने की हकदार होगी जिसने कोई पुरुष संतान नहीं छोड़ी। इस प्रकार केवल कुछ महिलाओं को ही विभाजन में हिस्सा पाने का अधिकार है जो कि खंड ए या बी या सी में से कौन सा लागू होता है और ऐसे विभाजन के समय की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि स्थिति ए से बी या सी में बदल जाती है तो खंड ए के तहत हिस्सेदारी की हकदार महिला अपना अधिकार खो सकती है। धारा के कारण हालांकि इसका मतलब यह नहीं होगा कि जिस महिला के पास भरणपोषण या शादी के खर्च या निवास का अधिकार था वह उस अधिकार

से वंचित है। वह उपधारा स्पष्ट रूप से ऐसा अधिकार सुरक्षित रखती है। धारा ऐसे अधिकार को कुछ महिला रिश्तेदारों के लिए हिस्सेदारी के अधिकार में विस्तारित करता है जिन पर एक या दूसरा खंड लागू होता है।

खंड डी उस मामले पर लागू होता है जब पारिवारिक संपत्ति एकमात्र जीवित सहदायिक के पास चली जाती है। ऐसे मामले में कोई विभाजन नहीं हो सकता जैसा कि खंड ए या बी या सी के तहत होता है। वास्तव में संपत्ति विभाजन के लिए अयोग्य हो जाती है और लेकिन खंड डी के लिए किसी भी महिला रिश्तेदार को हिस्सेदारी का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसे परिणाम को बचाने के लिए खंड डी में प्रावधान है कि महिला रिश्तेदारों के अधिकार केवल एकमात्र जीवित सहदायिक के पास संपत्ति के चले जाने के कारण नहीं खोए जाने चाहिए। उपधारा इसके अलावा उपधारा के अंतर्गत आने वाली ऐसी महिला रिश्तेदारों को अपने हिस्से अलग करने का अधिकार देता है और इस प्रकार उन्हें सहहिस्सेदार बनाता है जिनके अधिकारों के अधीन एकमात्र जीवित सहदायिक संपत्ति लेता है। इसलिए जबकि खंड ए बी और सी के तहत अधिकारों में विभाजन होने पर परिवार में महिला रिश्तेदारों की स्थिति के अनुसार उतारचढ़ाव होता है खंड डी के तहत आने वाले मामले में ऐसी कोई अनिश्चितता नहीं है। एकमात्र जीवित सहदायिक खंड ए या बी या सी के प्रावधानों के तहत आने वाली महिला रिश्तेदारों के हिस्सों के अधिकार के अधीन संपत्ति लेता है। ऐसी ही धारा की योजना है।

इस स्तर पर धारा के तहत मैसूर उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों पर ध्यान दिया जा सकता है। दक्षिणामूर्ति बनाम सुबम्माँ मैसूर एचसी रिपोर्ट्स में एस की विधवा ने अपने पति के भाई पर अपने हिस्से के बंटवारे और कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। दावा इस आधार पर था कि उसके पति और प्रतिवादी संयुक्त परिवार के एकमात्र सहदायिक थे और एस की मृत्यु पर प्रतिवादी एकमात्र जीवित सहदायिक बन गया। एस ने कोई पुरुष संतति नहीं छोड़ी उच्च न्यायालय ने माँना कि खंड डी लागू होता है और उपधारा के तहत विधवा को उस समय विभाजन के लिए मुकदमाँ करने का अधिकार था जब एस की मृत्यु हो गई और संपत्ति एकमाँत्र जीवित सहदायिक के रूप में उत्तरजीविता के द्वारा प्रतिवादी को दे दी गई। इस निर्णय को केवल इस आधार पर उचित ठहराया जा सकता है कि हिस्सेदारी के अधिकार की हकदार महिलाओं को सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए किसी को यह मान लेना चाहिए कि अंतिम सहदायिक और एकमाँत्र जीवित सहदायिक के बीच एक विभाजन था और यह केवल तब जब उस महिला विषय को जिसका उत्तरजीविता द्वारा हस्तान्तरित संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार है सुनिश्चित करना है। चूंकि अंतिम सहदायिक और जीवित सहदायिक भाई थे इसलिए खंड डी के प्रयोजनों के लिए न्यायालय ने भाइयों के बीच विभाजन माँन लिया और खंड बी के सिद्धांतों को लागू किया और माना कि एस की विधवा पूर्व मृत अविभाजित भाई की विधवा के रूप में अपनी क्षमता में हिस्सेदारी की हकदार थी।

वेंकटचलैया बनाम रामलिंगैया मैसूर एचसी रिपोर्टस में उच्च न्यायालय ने माना कि धारा का उद्देश्य महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा देकर बड़े अधिकार प्रदान करना है खंड डी ने एक प्रस्थान को प्रभावित किया है उस कानून से जो अधिनियमित होने से पहले प्रचलित था जब संयुक्त परिवार की संपत्ति जीवित रहने के कारण उसके पास चली जाती है तो निर्दिष्ट महिलाओं को एकल सहदायिक के साथ सहहिस्सेदार बना दिया जाता था। वेंकटगौडा बनाम शिवन्ना 1960 मैसूर एलजे में उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने हालांकि इन निर्णयों से भी आगे कदम बढ़ाया। उस मामले में आर को अपनी पत्नी जी से एक बेटा के था। के अपनी विधवा एल व पुत्र एम को छोड़कर 1936 में मर गया। बाद में आर की मृत्यु हो गई जिसके बाद संयुक्त परिवार की संपत्ति एकमात्र जीवित सहदायिक के रूप में एम के पास चली गई। प्रश्न यह था कि क्या खंड डी लागू होता है और आर की विधवा जी के पास हिस्सेदारी का अधिकार है। नारायण पई जे ने माना कि जी हिस्से की हकदार थी यानी अगर आर और एम के बीच विभाजन हुआ होता तो आर को आधा हिस्सा मिलता। उन्होंने कहा धारा की उपधारा के खंड डी के तहत विचार की गई स्थिति वह है जिसमें दो जीवित सहदायिकों में से एक की मृत्यु हो जाती है और दूसरा एकमात्र सहदायिक के रूप में जीवित रहता है। जब दोनों जीवित थे तो दोनों का संयुक्त परिवार की संपत्ति में हक था। हालांकि उनमें से एक की मृत्यु पर पूरी संपत्ति उत्तरजीविता के द्वारा उत्तरजीवी को

हस्तांतरित कर दी जाती है जो हित वास्तव में हस्तान्तरित होता है वह मृतक सहदायिक का हित होता है। मिताक्षरा कानून के सख्त सिद्धांत में किसी की मृत्यु पर वास्तव में कुछ भी हस्तान्तरित नहीं होता है लेकिन किसी की मृत्यु होती है कोई केवल उत्तरजीवी के हित को बढ़ाता है। हालाँकि जब धारा किसी संपत्ति या हित को हस्तान्तरित करने पर विचार करती है तो इसका प्राकृतिक अर्थ यह है कि मृतक सहदायिक से जीवित सहदायिक को संपत्ति या हित क्या हस्तान्तरित होता है। यह वह हित है जिसे ऐसे हिस्सों को प्राप्त करने की हकदार महिलाओं के वर्गों के हिस्सा के अधिकार के अधीन हस्तान्तरित किया जाता है। अभिव्यक्ति हिस्सा आवश्यक रूप से एक विभाजन पर विचार करती है क्योंकि विभाजन पर ही हिस्सा सुनिश्चित किया जाता है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से यह आवश्यक है कि हिस्सों की हकदार महिलाओं के दोनों वर्गों के साथसाथ उन हिस्सों को सुनिश्चित करने के लिए एक विभाजन किया जाए जिनकी वे हकदार हैं। धारा के शब्दों के अनुसार जिस उचित समय पर ऐसा सैद्धांतिक विभाजन माना जाना चाहिए वह अंतिम लेकिन एक सहदायिक की मृत्यु का समय है। इस तरह के विभाजन में उसमें भाग लेने वाले पुरुष सहदायिक केवल अंतिम दो सहदायिक हो सकते हैं एक जो मर गया दूसरा जो मृत सहदायिक को जीवित मानकर जीवित रहा। मृत व्यक्ति को विभाजन के समय जीवित मानने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उपधारा और के प्रावधानों को लागू करके उन महिला रिश्तेदारों के हिस्सों को निर्धारित

करना है क्योंकि उन महिला रिश्तेदारों के हिस्सों को उसके हिस्से से अलग किया जाना है।

इसलिए इस मामले में हमें रंगिया को जीवित मानते हुये और उसके पोते महिमा के बीच एक विभाजन होना चाहिए। हालाँकि महिमाँ रंगिया का पोता है क्योंकि बेटा शब्द में एक पोता भी शामिल है कृपया उपधारा देखें यह विभाजन एक व्यक्ति और उसके बेटे के बीच एक विभाजन होगा यानी उपधारा के खंड ए के तहत आने वाला विभाजन उस बटवारे पर रंगिया को एक हिस्सा मिलेगा और महिमाँ को एक हिस्सा मिलेगा। महिमाँ की माँ लक्ष्ममाँ रंगिया के पूर्व मृत बेटे की विधवा होंगी लेकिन क्योंकि उनका एक बेटा जीवित है जो कि महिमाँ है उसे हिस्सा नहीं मिलेगा। चूकि रंगिया की मृत्यु बिना विभाजन के हुई उसके शेयर सामान्यतः पोते महिमा के पास चले गए। उपधारा के खंड डी द्वारा उसे पूरा हिस्सा मिलना रोका गया है।

अभी तक कोई कठिनाई नहीं है लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा।

रंगिया ने किसी भी अविवाहित बेटी को नहीं छोड़ा उसकी विधवा आती है और यदि वह जीवित होता तो उसे अपने हिस्से के रूप में जो मिलता उसका एक चौथाई ले लेती है। पूरी संपत्ति के संदर्भ में उसका हिस्सा होगा।

यदि खंड डी के तहत हिस्सेदारी के अधिकार की हकदार महिलाओं को सुनिश्चित करने के लिए खंड ए को विद्वान न्यायाधीश की तरह लागू किया जाता है तो रंगिया की विधवा को हिस्सेदारी का हकदार कैसे माना जाएगा खंड ए में एक व्यक्ति और उसके पुत्र या पुत्रों के बीच विभाजन की परिकल्पना की गई है। उस धारा के तहत उस व्यक्ति की विधवा हिस्सेदारी की हकदार नहीं है। लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने निर्धारित किया यह याद रखना चाहिए कि खंड ए के तहत पूर्वमृत बेटों की विधवाओं के हिस्सों का पता लगाने में उन बेटों को जीवित माना जायेगा और उन्हें एक हिस्सा आवंटित किया जायेगा और उनकी विधवाओं को उस हिस्से में से आधा हिस्सा मिलेगा उपधारा और उपधारा का खंड ए जीवित पुरुष सहदायिकों के बीच खंड ए के तहत एक वास्तविक विभाजन में इसलिए खंड स्पष्ट रूप से एक मृत सहदायिक को जीवित व विभाजन में भाग लेना मानते हुये उस हिस्से को आवंटित करने पर विचार करता है। इसलिए जब खंड डी के प्रयोजनों के लिए हम एक जीवित और मृत सहदायिक के बीच एक सैद्धांतिक विभाजन मानते हैं तो खंड ए या खंड डी की भाषा में कोई हिंसा नहीं होती है मृतक के एक हिस्से को छोड़कर एक सहदायिक को आधा हिस्सा उसकी विधवा को और साथ ही हिस्सा अविवाहित बेटी को देने में यदि वह उस समय जीवित हो।

निर्णय का यह भाग खण्ड ए के प्रावधानों के विपरीत है। यह मानते हुए कि खंड डी आर और एम के बीच एक सैद्धांतिक विभाजन को दर्शाता

है आर की विधवा जी को खंड ए के तहत कोई हिस्सा नहीं मिलता है। दक्षिणामूर्ति मैसूर एचसीआर का माँमला जिस पर विद्वान न्यायाधीश ने भरोसा किया है लागू नहीं है क्योंकि जो खंड प्रासंगिक पाया गया वह खंड बी था जिसके तहत एक पूर्वमृत अविभाजित भाई की विधवा को भाईयों के बीच अनुमानति विभाजन हुआ था के आधार पर हिस्से का हकदार माना गया है। उस मामले में संपत्ति एकमात्र जीवित सहदायिक के रूप में भाई को हस्तांतरित कर दी गई। यदि उसके और उसके मृत भाई जो कि वादी का पति था के बीच एक सैद्धांतिक विभाजन मान लिया जाए तो यह खंड बी के तहत भाइयों के बीच एक विभाजन होगा और यह मानना संभव था कि पूर्वमृत अविभाजित भाई की विधवा हिस्से की हकदार थी। यद्यपि 1933 का अधिनियम एक सामाजिक कानून है और इसे उदारता पूर्वक समझा जाना चाहिए लेकिन निर्माण इसकी भाषा के अनुरूप होना चाहिए। इन निर्णयों से पता चलता है कि उच्च न्यायालय का झुकाव इस दृष्टिकोण पर है कि खंड डी को उचित रूप से समझा जाए तो अंतिम लेकिन एक और एकमात्र जीवित सहदायिक के बीच विभाजन की धारणा की आवश्यकता है और ऐसी धारणा पर महिलाएं शेरों के अधिकार की हकदार हैं। यह सुनिश्चित किया जाना है कि तीन खंडों ए बी या सी में से कौन सा उस रिश्ते पर विचार करते हुए लागू किया गया है जिसमें अंतिम लेकिन एक सहदायिक और एकमात्र जीवित सहदायिक खड़ा था। क्या नागों की सौतेली दादी खंड डी के तहत हिस्सेदारी के अधिकार की हकदार

हैं जहां खंड ए लागू होता है यानी जहां विभाजन एक पिता और उसके बेटे या बेटों के बीच होता है वहां हिस्सेदारी की हकदार महिलाएं माँ ऐसे पिता की अविवाहित बेटियां और उसके पूर्व मृत बेटों और भाइयों की अविवाहित बेटियां हैं जिन्होंने कोई पुरुष संतति नहीं छोड़ी है। ऐसे पिता की पत्नी का कोई हिस्सा नहीं होता खंड बी वहां लागू नहीं हो सकता जहां जीवित सहदायिक और अंतिम लेकिन एक सहदायिक पोते और दादा हैं क्योंकि इसके तहत विभाजन भाइयों के बीच है। न ही खंड सी लागू होगा क्योंकि खंड ए और खंड बी के अलावा अन्य सहदायिकों के बीच विभाजन है। उपधारा के तहत एक बेटे में एक पोता और परपोता शामिल है। इस धारा के प्रयोजनों के लिए नागेन्द्र एक पुत्र होगा। परिणामस्वरूप खंड डी के प्रयोजन के लिए माना जाने वाला विभाजन एक पिता और उसके पुत्र के बीच होगा। हालांकि उपधारा के तहत एक बेटे में एक पोता और एक परपोता शामिल है और एक माँ में एक सौतेली माँ शामिल है दादी को माँ की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। माँ से संबंधित इस धारा की अभिव्यक्ति प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होगी। दादी और परदादी का मतलब केवल इतना है कि खंड ए के तहत पिता की दादी और परदादी को हिस्सा मिलेगा लेकिन बेटे की दादी को नहीं। इसलिए नागों की दादी को हिस्सेदारी का कोई अधिकार नहीं होगा।

खंड डी में महत्वपूर्ण शब्द हैं उपरोक्त उपधाराओं में गिनाए गए महिलाओं के वर्गों के हिस्सों के अधिकार के अधीन। इन शब्दों से संकेत

मिलता है कि खंड डी के तहत आने वाले मामले में जहां कोई विभाजन नहीं हो सकता है हिस्से के अधिकार की हकदार महिलाओं को सुनिश्चित करना चाहिए जैसे कि अंतिम लेकिन एक सहदायिक और एकमात्र जीवित सहदायिक के बीच विभाजन हुआ हो। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके द्वारा महिला रिश्तेदार जिनके अधिकार के अधीन एकमात्र जीवित सहदायिक संपत्ति लेता है यह सुनिश्चित किया जा सके और खंड डी निष्फल हो जाएगा। किसी हिस्से पर अधिकार तभी हो सकता है जब बंटवारा हो अन्यथा नहीं। खंड ए बी या सी के तहत आने वाले मामलों के बीच एक स्पष्ट अंतर है जहां वास्तविक विभाजन होने पर हिस्सेदारी महिला रिश्तेदारों में निहित होती है और खंड डी जहां कोई विभाजन नहीं हो सकता है। इसलिए एक विभाजन माँना जाना चाहिए क्योंकि केवल ऐसी धारणा पर ही उन महिलाओं को सुनिश्चित किया जा सकता है जिन्हें हिस्से का अधिकार प्रदान किया गया है यानी वे महिलाएं जो इस तरह के विभाजन पर यदि कोई हुआ होता तो एक हिस्से की हकदार होती। यह प्रश्न कि वे महिलाएं कौन हैं जो इस तरह के हिस्से की हकदार हैं इस बात पर निर्भर करता है कि खंड ए बी या सी में से कौन सा खंड ऐसे सैद्धांतिक विभाजन पर लागू होता है।

वर्तमान मामले में उपधारा में पुत्र की परिभाषा के मद्देनजर खंड ए के तहत अनुमानित विभाजन पिता और पुत्र के बीच होगा और वादी तभी

हिस्सेदारी की हकदार होगी जब वह उस खंड में सूचीबद्ध लोगों में से एक हो।

उसका दावा या तो मेंडप्पा की विधवा के रूप में था जो अंतिम लेकिन एक सहदायिक था या अपीलकर्ता की सौतेली दादी के रूप में जो एकमात्र जीवित सहदायिक था। जिस भी क्षमता में वह किसी हिस्से के अधिकार का दावा कर सकती है जैसा कि खंड डी में कहा गया है उसके पास ऐसा हिस्सा होगा बशर्ते वह खंड ए बी या सी जैसा भी मामला हो के तहत एक या अन्य प्रगणित वर्गों के अंतर्गत आती हो। खंडडी कोई स्वतंत्र वर्ग नहीं बनाता है। यदि अनुमानित विभाजन मेंडप्पा और अपीलकर्ता के बीच होता तो उपधारा के तहत अपीलकर्ता के बेटा होने के कारण विभाजन खंड ए के तहत होता। उस स्थिति में प्रत्यर्थी को मेंडप्पा की पत्नी या अपीलकर्ता की दादी के रूप में हिस्सेदारी का कोई अधिकार नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि खंड डी में न केवल अंतिम की महिला रिश्तेदारों को बल्कि एक और एकमात्र जीवित सहदायिक को शामिल किया जाएगा बल्कि उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है और इस धारणा पर कि उनके और जीवित बचे लोगों के बीच विभाजन हुआ था। इसलिए उच्च न्यायालय के अनुसार एकमात्र जीवित सहदायिक के दादा की विधवा के रूप में प्रत्यर्थी पूर्व मृत अविभाजित सहदायिक की विधवा के रूप में खंड डी के अंतर्गत आती है। लेकिन इस तरह के विचार को स्वीकार करने में दो कठिनाइयाँ

हैं। सबसे पहले यदि मेंडप्पा के पूर्व मृत पुत्र गुरुस्वामी के साथ विभाजन माँना जाता है तो ऐसा विभाजन उनके और उनके पिता मेंडप्पा या उनके मेंडप्पा और अपीलकर्ता के बीच होगा। इस तरह का विभाजन खंड ए को आकर्षित करेगा जिस स्थिति में प्रत्यर्थी को केवल मेंडप्पा की माँ और पूर्व मृत बेटे गुरुस्वामी की विधवा के रूप में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा बशर्तें ऐसे बेटे ने के पास कोई पुरुष संतान जो हिस्सा रखती हो न छोड़ी हो। प्रतिवादी दोनों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। दूसरी कठिनाई यह है कि खंड डी इतने व्यापक निर्माण की गारंटी नहीं देता है। शब्द उपरोक्त उप धाराओं में गिनाए गए महिलाओं के वर्गों के हिस्सों के अधिकार के अधीन का अर्थ उन महिलाओं से होना चाहिए जो उन सहदायिकों के बीच अनुमानित विभाजन पर एक या दूसरे खंड के अंतर्गत आती हैं जिनमें से एक की मृत्यु पर संपत्ति एकमात्र जीवित सहदायिक के पास चली जाती है।

इसलिए इतनी व्यापक व्याख्या अपनाने में उच्च न्यायालय से गलती हुई। उच्च न्यायालय ने यह मानने में भी गलती की थी कि प्रतिवादी बेटे की परिभाषा के आधार पर हिस्सेदारी का हकदार था जिसमें एक पोता और इसलिए एक माँ का अर्थ एक सौतेली दादी शामिल है। खंड ए में माँ का मतलब मेंडप्पा की दादी समेत माँ से है न कि अपीलकर्ता की दादी से।

उपरोक्त कारणों से उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री को रद्द किया जाता है और वादी का मुकदमा खारिज किया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा। आदेशबहुमत की राय के अनुसार अपील लागत सहित खारिज की जाती है।

जीसी

श्रीमती अलका बंसल

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती अलका बंसल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।